रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 दिसम्बर, 1980/29 अग्रहायण, 1902

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 13 नवम्बर, 1980

सं0 राज0 2 ए0 (3)-3/79.—राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1977 (1978 का 29) की धारा 23 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाना चाहते हैं। प्रस्तावित नियमों का प्रारूप जनसाधारण की सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के सम्बन्ध में कोई सुझाव देना या आपत्ति करना चाहे तो अपने सुझाव या आपत्ति अवर सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 की सेवा में इन नियमों के छपने की तिथि से एक मास की अवधि के अन्दर लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर पूर्णरूप से विचार किया जाएगा।

आदेशानुसार,

प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव,

सचिव।

(2) The Board shall cause a copy of the draft bye-laws pasted on the notice board of its office and shall also send a copy to all Deputy Commissioners for giving wide publicity to the proposed bye-laws;

(3) Any suggestion or objection received within the prescribed period shall duly be considered by the Board before publishing the bye-laws finally.

(4) Ten copies each of the draft bye-laws and these as published finally, shall be forwarded to the Government by the Board.

16. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Bhoodan yajna Rules, 1955, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of th e rules under sub-rule (1), any thing done, or any action taken in the exercise of the powers confe rred by or under the rules so repealed, shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under these rules, as if these rules were in force an the day on which such thing was done or action was taken.

FORM 'A'

DECLARATION FOR MAKING A DONATION OF LAND TO THE BHOODAN YOJNA BOARD IN THE BHOODAN YAJNA INITIATED BY ACHARYA VINOBA BHAVA

(*See* Rule 7)

To

The Chairman,
The Bhoodan Yajna Board,
Himachal Pradesh,.....

The applicant(s) hereby offers/offer to transfer by way of gift of the land(s) specified in paragraph (4) below to the Himachal Pradesh Bhoodan Yajna Board and declares/declare that he/she/they has/have a lawful title to the aforesaid land(s) free from allencumbrances, including those mentioned in col.mn (8) below and that no arrears of revenue or rent are due in respect thereof save as specified in column (9). The applicant(s) further declares/declare that he/she/they possesses/possess a transferable interest in the aforesaid land(s) and that he/she/they is/are competent to make a gift thereof under the law which he/she/they is/are subject to. My/Our detailed particulars and those of the land are given hereunder:—

(1) Name(s) in full of declarant.....

(2) Full address and occupation.....

(3) Place of residence..... Village.....
Tehsil.....District.....

(4) Particulars of lands offered as a gift:

Name of village with name of tehsil and Distrcit in which the land is situated	Khasra or survey number with Sub-Division number if any	Recorded Area	Share and area offered as gift (with specification of Boundaries of the area offered. Where it, is a fractional share and is not recorded as a separate Khasra No./Survey number)
1	2	3	4

Revenue or Rent	Revenue or Rent of the holding in which the land is comprised	Right in which held *i.e.* owner tenant? Mortgage or lessee	Full particulars of encumbrances including maintenance charges and attachments by a Civil Court or a revenue officer, if any
5	6	7	8

Arrears of Revenue of rent, if any	Renarks
9	10

Signature of declarant.

VERIFICATION

I/We..... do hereby solemnly affirm that the contents furnished above are true to the best of my/our knowledge and belief.

Verified and signed on.....19 .

Signature of Declarant.

Endorsement by the Board:

Forwarded to the..... Tehsil..... District.....

2. The Board considers the gift acceptable.

Chairman,
Bhoodan Yajna Board,
Himachal Pradesh.

Seal:
Place:
Date:

FORM 'B'
(*See* Rule 9)

BEFORE THE..... (REVENUE OFFICER).....
Revenue Case No.....

Whereas Shri/Shrimati .....Son/daughter/wife/widow of..... resident of village..... Tehsil..... ..... District had made the attached declaration for donation of land to the Himachal Pradesh Bhoodan Yajna Board.

And whereas the said Board has considered the gift acceptable and accordingly forwarded the Declaration to for further action.

And whereas upon making a summary..... enquiry as required by sub-section (4) of section 13 of the Himachal Pradesh Bhoodan Yajna Act, 1978, I am satisfied that the doner(s) has/have a valid title to the said land and is/are competent to make the gift.

Now, therefore, the said Declaration is hereby published and notice is given to all persons claiming to have any interest in the said land to appear before me on.....day of..... 19 ..... at....., in person or by duly authorised Pleader or Agent to show cause why the gift should not be accepted.

Notice is also hereby given that if no objection showing cause why the gift should not be accepted, if filed within a period of 60 days from the date of the notice, I shall proceed to accept the gift on behalf of the Board.

Given under my hand and the seal of the Court, this.....day of..... 19.....

Signature and Designation of the Revenue Officer.

(Seal).

FORM 'C'

ORDER OF THE REVENUE OFFICER
(*See* Rule 11)
ORDER

Whereas a Declaration made on..... by Shri/Shrimati..... to the Himachal Pradesh Bhoodan Yajna Board offering a gift of land(s) specified in the Schedule and upon the Board considering the gift acceptable, he Declaration was published as req uired under sub-section (5) of section 13 of the Himachal Pradesh Bhoodan Yajna Act, 1977 alon gwith a notice calling upon all persons having interest in the land offered as gift, to file objections as required under sub-section (4) of section 13, after making an enquiry.

And whereas no objection was filed/whereas all objections filed to the acceptance of the said gift, under sub-section (6) of section 13 of the said rule have been duly enquired into, heard and rejected.

Now, therefore, it is ordered and declared that the gift of land/lands described in the schedule is hereby accepted on behalf of the Board, and affirmed by me.

Given under my hand and seal of the Court, this .....day of.....19 .

Signature and designation of the Revenue Officer.

Schedule

हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ नियम, 1980

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) ये नियम हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ नियम, 1980 कहलाएंगे ।

(2) ये तत्काल प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय अथवा संदर्भ में विरुद्ध न हो:—

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश के भूदान यज्ञ अधिनियम, 1977 (1978 का 29) से है,

(ख) "सरकार" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सरकार से है,

(ग) "धारा" से अभिप्राय अधिनियम की धारा से है, तथा

(घ) "फार्म" से अभिप्राय इन नियमों से संलग्न शीर्ष से है ;

(ङ) अन्य सभी शब्दों तथा पदों जिन्हें यहां प्रयुक्त किया गया है, परन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमश: दिया गया है ।

3. बोर्ड में पदों को भरना.—धारा 4 के अधीन गठित बोर्ड में ज्यों ही पद खाली होता है, वह राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशन से भरा जायेगा ।

4. बोर्ड की कार्यवाही का संचालन.—निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन बोर्ड अपनी बैठक बुलायेगा तथा अपनी बैठकों के बारे में दिन, समय, नोटिस, प्रबंध और स्थगतन का समय-समय पर ऐसा प्रबन्ध करेगा जैसे उचित समझे, जैसे:–

(क) अध्यक्ष, जब उचित समझे विशेष बैठक बुला सकता है ;

(ख) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में इस प्रयोजन के लिए बैठक द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा की जाऐगी ;

(ग) किसी भी बैठक में सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा तथा मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा मत अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा;

(घ) बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा;

(ङ) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत की एक प्रति सरकार को प्रेषित की जाएगी ।

5. कोरम.—(1) बोर्ड की बैठक में कार्यवाही के लिए कोरम बोर्ड के आधे सदस्य का होगा परन्तु 3 से कम नहीं होगा ।

(2) यदि बोर्ड की किसी बैठक में कोरम उपस्थित नहीं हो तो अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति यथास्थिति बैठक को किसी अगले दिन तक जैसा वह उचित समझे स्थगित करेगा तथा वह कार्य जो यदि कोरम उपस्थित होता बैठक के समक्ष लाया जाता उसे उपनियम (1) के अधीन हुए इस का विचार किये बिना, बैठक के समक्ष लाया तथा सव्यवहारित किया जायेगा ।

6. सरकार को सूचना देना.—बोर्ड अपने कार्यों अथवा इसके अधीनस्थ या सम्बद्ध सस्थाओं के कार्यों की ऐसी सूचना, विवरण तथा रिपोर्ट जैसे सरकार द्वारा समय-समय पर मांगी जाए, प्रस्तुत करेगा ।

7. भूदान घोषणा का फार्म तथा इसके साथ भरे जाने वाले दस्तावेज.—धारा 1, 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित भूदान घोषणा फार्म "क" में दी जाएगी तथा उसके साथ ही दान की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों की एक प्रमाणित प्रति या प्रत्तियां दी जायेंगी ।

8. बाजार मूल्य की गणना—धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक के प्रयोजन के लिए भूमि की बाजार मूल्य सम्बन्धित राजस्व सम्पदा में प्रचलित भूमि की या उसके न होने पर, पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान निकटवर्ती राजस्व सम्पदा की औसत की मत के आधार पर संभावित की जायेगी ।

9. भूदान घोषणा के प्रकाशन की पद्धति तथा उस पर आपत्ति यां.—(1) भूदान घोषणा प्राप्त करने पर राजस्व अधिकारी यदि वह ऐसी संक्षिप्त जांच पड़ताल जैसी वह यह जानने के लिए उचित समझे कि दाता दान करने के लिए सक्षम है, तथा उसका भूमि पर वध अधिकार है, करने पर संतुष्ट है, तो वह फार्म "ख" पर घोषणा जारी करेगा और उसके साथ भूदान घोषणा-पत्र प्रकाशित करेगा तथा घोषणा पर आपत्तियां आमन्त्रित करेगा।

(2) राजस्व अधिकारी धारा 13 की उप-धारा (10) के अधीन प्रमाणित करने के अतिरिक्त इस आधार पर प्रस्ताव को रद्द कर सकता है कि भूमि कृषि योग्य नहीं है अथवा अन्यथा भूदान यज्ञ प्रयोजन के लिए लाभकारी नहीं है ।

10. धारा 15 के अधीन तैयार की जाने वाली सूची में अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करना.—धारा 15 के अधीन भूमि की सूची तैयार करते समय बोर्ड, प्रत्येक मामले में, भूमि के पूर्ण विवरण सहित, उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को आवंटित क्षेत्र को भी उपदर्शित करेगा ।

11. उपहार के पुष्टीकरण आदेश का फार्म—भूदान घोषणा का पुष्टीकरण करने वाले आदेश फार्म "ग "पर तीन प्रतियों में बनाये जायेंगे । आदेश की एक प्रति बोर्ड को तथा दूसरी दाता को भेज दी जायेगी और तीसरी मामले के रिकार्ड के लिए रखी जायेगी ।

12. भूमि का क्षेत्र तथा पद्धति जिस से यह वितरित की जाएगी.—किसी भी भूमिहीन व्यक्ति को भूमि नहीं दी जाएगी जिस का क्षेत्र निम्नलिखित से अधिक न हो:—

(क) एक एकड़, अथवा

(ख) कोई क्षेत्र जो उसकी जोत से, यथास्थिति, एक एकड़ दर से।

(2) जिस भूमिहीन व्यक्ति को इस नियम के अधीन भूमि प्रदान की गई हो, का नाम ग्रामीण अधिकारों के रिकार्ड पत्रों में भूदान प्राप्तिकर्ता रूप में दर्ज किया जाएगा तथा वह निम्न निबन्धनों व शर्तों के अनुसार भूमि को ग्रहण कर लेगा नामत: :—

(क) जब तक यह बोर्ड में निहित रहे तब तक भूमि प्राप्तकर्ता भूमि को रखने का हकदार होगा;

(ख) पट्टा धारण के अधिकारी धारक की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों को चले जाएंगे;

(ग) प्राप्तकर्ता अथवा उसके उत्तराधिकारी भूमि के किसी अधिकार को हस्तान्तरित नहीं करेंगे ।

(घ) प्राप्तकर्ता अथवा उसके उत्तराधिकारी किन्हीं भी परिस्थितियों में उस भूमि को किराये अथवा उपभाड़े पर नहीं देंगे तथा ऐसा कोई भी कार्य अवैध होगा;

(ङ) प्राप्तकर्ता भूमि को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए खाली नहीं रहने देगा; तथा

(च) प्राप्तकर्ता उन सभी शर्तों का अनुपालन करेगा जिन्हें बोर्ड विनियमों द्वारा अधिरोपित करे ।

13. शर्तों का उल्लंघन करने पर पट्टेदार की बेदखली.—(1). यदि कोई प्राप्तकर्ता नियम 12 की उप-धारा (2) के अधीन विहित (क) से (च) शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो बोर्ड राजस्व अधिकारी को अनुदान के पर्यवसान के लिए आवेदन कर सकता है ।

(2) राजस्व अधिकारी ऐसी छानबीन, जैसी कि वह उचित समझे, के पश्चात् अनुदान का पर्यवसान कर सकता है तथा भूमि का स्वामित्व बोर्ड को प्रत्यावर्तित किया जायेगा ।

14. भूदान पट्टेदार के अधिकार.—किसी भी व्यक्ति जिसने भूदान प्राप्तकर्ता के रूप में लगातार दस वर्षों के लिए नियम 11 में विहित शर्तों के अनुसार भूमि धारित की है, 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद उसका उस भूमि पर उसी प्रकार से अधिकार होगा जैसा कि बोर्ड द्वारा इसे प्राप्त करने पर था, तथा उस पर से बोर्ड का अधिकार तथा हित समाप्त हो जायेगा ।

15. उपनियमों के प्रकाशन का ढंग.—(1) बोर्ड द्वारा 30 के अधीन इसके द्वारा निश्चित उप-विधियों का प्रारूप हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर जनता के सुझाव व आपत्तियों को आमन्त्रित करने हेतु करेगा।

(2) बोर्ड उप-नियमों के प्रारूप की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकायेगा तथा प्रस्तावित उप-नियमों का व्यापक प्रचार करने हेतु इसकी एक प्रति सभी ज़िलाधीशों को भी भेजी जायेगी ।

(3) विहित समय के भीतर प्राप्त हुए किसी सुझाव अथवा आपत्ति पर उप-नियमों का अन्तिम रूप से प्रकाशित करने से पूर्व बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से विचार किया जाएगा ।

(4) प्रत्येक प्रारूप उप-नियम की तथा उसकी जो उनको अन्तिम रूप से प्रकाशित किया की 10 प्रतियां बोर्ड द्वारा सरकार को भेजी जाएंगी ।

16. (1) निरसन एवं व्यावृति.—हिमाचल प्रदेश भू-दान यज्ञ नियम, 1955 एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नियमों का निरसन होते हुए भी ऐसे निरसित नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग अथवा नियमों के अधीन की गई कार्यवाही अथवा उठाया गया पग इन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अथवा इन नियमों के अधीन किया गया समझा जायेगा जैसे कि यह नियम उस दिन लागू थे जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था अथवा पग उठाया गया था ।

फार्म "क"

भूदान यज्ञ बोर्ड को भूमि का दान करने के लिए घोषणा (आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरम्भ किये गये भूदान यज्ञ में)

(नियम 7 देखिये)

सेवा में,

अध्यक्ष,
भूदान यज्ञ बोर्ड,
हिमाचल प्रदेश ।

आवेदक एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश भू-दान यज्ञ नीचे लिखे पैरा (4) में निर्दिष्ट भूमि को दान के रूप में हस्तान्तरित करता/करते हैं तथा घोषणा करते हैं/करता है कि उनका/उसका उक्त

भूमि जो सभी ऋण भारों से मुक्त है, पर उन अधिकारों सहित जो स्तम्भ (8) में नीचे दिए गये हैं ।

विधियां—यह अधिकारी है तथा जैसा कि स्तम्भ (9) में निर्दिष्ट है को छोड़ कर उसके बारे में राजस्व को बकाया या किराया देय नहीं है/आवेदक यह भी घोषणा करता है/करते हैं कि वह उसका/उनका उक्तभूमि पर हस्तान्तरणयी हित है तथा वह/वे उस सम्पति को विधि जिसके वह/वे अध्याधीन है, के अन्तर्गत दान करने में सक्षम है । मेरे/हमारा तथा उस भूमि का विस्तृत विवरण नीचे दिया जाता है :—

(1) घोषक/घोषकों का पूरा नाम .....

(2) पूरा पता तथा व्यवसाय .....

(3) आवास स्थान ..... गांव ..... तहसील .... जिला .....

दान में दी गई भूमि का विवरण

गांव, तहसील तथा जिला का नाम जिसमें भूमि स्थित है	उप-मण्डल संख्या सहित यदि कोई हो, खसरा अथवा सर्वेक्षण संख्या	अभिलिखित क्षेत्र	दान के रूप में दिया गया भाग तथा दिये का विनिभाग है तथा अलग खसरा संख्या में अभिलिखित नहीं किया गया है तो खसरा नं0 1 सर्वेक्षण नं0 का प्रविभजन
1	2	3	4

किराया राजयास्व	जिसमें भूमि समाविष्ट है उस जोत का राजस्व या किराया	अधिकार जिस रूप में है, अर्थात स्वामी, मुजारा या पट्टे दार	अनुरक्षण प्रभारों सहित तथा सिविल न्यायालय आदेश, राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कुर्की यदि कोई हो, प्रभारों का पूर्ण विवरण	राजस्व या किराये का बकाया यदि कोई हो	विशेष-थन
5	6	7	8	9	10

घोषक के हस्ताक्षर,

.....

सत्यापन

मैं/हम ..... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त अन्तर्वस्तु मेरे/हमारे प्रतिज्ञान तथा विश्वास में सही है ।

..... 19... को सत्तापित तथा हस्ताक्षरित ।

घोषणा कर्ता के हस्ताक्षर

बोर्ड द्वारा पृष्ठांकन

. . . . . तहसील . . . . . ज़िला को प्रेषित ।

(2) बोर्ड दान को प्रतिग्राह्य समझता है ।

अध्यक्ष,
भू-दान यज्ञ बोर्ड, हिमाचल प्रदेश।

मोहर.

स्थान. . . . . .

तिथि. . . . . .

पत्रांक "ख"

(नियम 9 देखिये)

. . . . . .(राजस्व अधिकारी) . . . . . के सामने राजस्व केस सं0 . . .
चूंकि श्री/ श्रीमती . . . . . सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/विधवा, श्री . . . . . .
निवासी गांव . . . . . तहसील . . . . . जिला . . . . . ने
हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड को भूमि दान करने की संलग्न घोषणा की थी ।

चूंकि बोर्ड ने दान को प्रतिग्राह्य समझा है तथा तदनुसार घोषणा की आगामी कार्यवाही के लिए अग्रेषित कर दिया है ।

तथा चूंकि हिमाचल प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1978 की धारा 13 की उप-धारा (4) द्वारा अपेक्षित संक्षिप्त जांच करने पर मैं सन्तुष्ट हूं कि दानकर्ता/कर्ताओं का उक्त भूमि पर वैध अधिकार है तथा वह/वे दान करने में सक्षम है/हैं ।

अब इसलिए उक्त घोषणा एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है तथा उन सभी व्यक्तियों को जो उक्त भूमि पर अपने किसी हित का दावा करते हों को नोटिस दिया जाता है कि वे दिनांक . . . . . 19 . . . . . को . . . . . (स्थान) पर मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिवत प्राधिकृत अभिवक्ता या एजेंट के माध्यम से इसका कारण बताने के लिए पेश हों कि यह दान क्यों स्वीकार न किया जाए । एतद्द्वारा यह नोटिस भी दिया जाता है कि दान क्यों स्वीकार न किया जाए का यदि कारण दर्शाने वाली कोई

आपत्ति. यदि नोटिस की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर दायर न की जाए, तो मैं बोर्ड की ओर से दान स्वीकार करूंगा ।

दिनांक. . . . . 19 . . . . को मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के अधीन जारी किया गया ।

राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम ।

मोहर

फार्म "ग"

राजस्व अधिकारी का आदेश
(नियम 11 देखिये)

आदेश

चूंकि दिनांक . . . . . को श्री/श्रीमती . . . . . द्वारा हिमाचल प्रदेश भू-दान यज्ञ बोर्ड को अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि (भूमियों) को दान के रूप में देने की घोषणा की है तथा बोर्ड द्वारा दान को प्रतिग्राह्य समझे जाने पर, हिमाचल प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1977 की धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन अपेक्षित घोषणा एक सूचना के साथ जिसमें उन सब व्यक्तियों जो दान में प्रस्तावित भूमि में हित रखते हैं से अपेक्षित है की जांच पड़ताल के पश्चात् धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन आपत्तियां दाखिल करें, प्रकाशित की गई थी ।

तथा चूंकि कोई भी आपत्ति दायर नहीं की गई थी/चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के अधीन उक्त दान की स्वीकृति के लिए दायर की गई सभी आपत्तियों की विधिवत जांच पड़ताल तथा सुनवाई की तथा रद्द कर दी गई हैं ।

इसलिए, अब यह आदेशित तथा घोषित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित भूमि/भूमियों का दान बोर्ड की ओर से एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा मेरे द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है ।

दिनांक. . . . . 19. . . को न्यायालय की मोहर सहित मेरे द्वारा हस्ताक्षरित ।

राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम ।

अनुसूची

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।